भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2688
दिनांक 05 अगस्त, 2025 / 14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पंजीकृत मामले

2688. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पंजीकृत मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामलों में दोषसिद्धि की दर क्या है और कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अभियुक्तों से जब्त की गई नकदी और सम्पत्ति का कुल मूल्य कितना है तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों से वास्तव में कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): गृह मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) है। एनआईए ने वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 (30.06.2025 तक) में क्रमशः 59, 61, 73, 68, 80 और 32 मामले दर्ज किए हैं।

(ख): विगत 05 वर्षों के दौरान, एनआईए द्वारा दर्ज मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या 367 है और दोषसिद्धि दर 97.08% है।

(ग): विगत 05 वर्षों के दौरान, एनआईए द्वारा 114.11 करोड़ रुपए की राशि कुर्क/जब्त की गई है, जिनमें से 29,31,500 रुपए की संपत्ति दोषी व्यक्तियों से वसूल की गई है।

****